निविदादाता द्वारा जैविक कचरा उठाव हेतु कम से कम पाँच (05) बन्द गाड़ी जो नियमावली के अनुकुल हो मशीन तक ले जाने के लिए होना चाहिए।

(20) यदि नियमानुकूल जैविक अवशिष्ट (सीसा, प्लास्टिक, लोहा इत्यादि) का रिसाइकालिंग करनी होगी तो वैज्ञानिक पद्धति से एजेंसी द्वारा करायी जायेगी तथा कन्ट्रेक्ट के अनुसार दर निर्धारण कर उक्त राशि को रोगी कल्याण समिति में जमा करना होगा।

(21) सभी ओ0टी0, वार्डो एवं विभागों में कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार तीन महीने में एक बार जैव–चिकित्सा अवशिष्ट निस्तारण हेतु प्रशिक्षण अपने संसाधन से उपलब्ध कराना होगा एवं स्थान–स्थान पर प्रचार हेतु प्लैक्स, पोस्टर इत्यादि लगाना आवश्यक होगा।

(22) सेवा कर में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन संलग्न करना आवश्यक है।

(23) जैव चिकित्सा अवशिष्टों का पूर्ण निपटान बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता को होगी। प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के उल्लघंन पर होने वाली कार्रवाई के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा। उक्त नियमानुसार जैव अवशिष्ट का संग्रहण, पृथिकरण, निस्तारण का पूर्ण कार्य निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

(24) क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

(25) क्रय समिति/अधीक्षक को किसी भी निविदा का बिना कोई कारण बताये अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(26) यदि मशीन दो दिनों तक फर्म के लापरवाही के वजह से बन्द रहती है तो प्रशासन द्वारा आर्थिक दण्ड कन्ट्रेक्ट के अनुसार देय होगा।

(27) निविदा के निष्पादन में अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

## वित्तीय निविदा

(1) वित्तीय निविदा अलग मुहर बन्द लिफाफे मे होनी चाहिए।

(2) इंधन (विद्युत को छोड़कर बाकी सभी), आपरेटर (चालक) एवं मशीन के रख रखाव (पार्ट एवं Consumables सहित) वार्षिक सम्पोषण का समेकित मासिक दर अंकित करें।

23/11/17

अधीक्षक
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

# अधीक्षक का कार्यालय
## पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

ज्ञापांक– .......11280...... /पटना, दिनांक – ...23/11/17

## निविदा सूचना

वर्ष 2017–18 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण इकाई में अवस्थित मशीन/उपकरणों की वार्षिक सम्पोषण (पार्टस समेत) एवं आवश्यक संसाधन द्वारा संचालन करने हेतु अनुभवी फर्म द्वारा मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा, प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर समयावधि में प्राप्त कर सकते है, तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर भी देखी एवं डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समय के बाद प्राप्त या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के आलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी।

23/11/17

अधीक्षक
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना

# अधीक्षक का कार्यालय
## पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

ज्ञापांक– ......11280...... / पटना, दिनांक – ...23/11/17

## निविदा सूचना

वर्ष 2017–18 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण इकाई में अवस्थित मशीन/उपकरणों की वार्षिक सम्पोषण (पार्टस समेत) एवं आवश्यक संसाधन द्वारा संचालन करने हेतु अनुभवी फर्म द्वारा मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा, प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर समयावधि में प्राप्त कर सकते है, तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर भी देखी एवं डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समय के बाद प्राप्त या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के आलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी।

ह0/–
अधीक्षक
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना

**निविदा शर्त्त :–**

(1) निविदा दो प्रकार की होगी :– (1) तकनिकी निविदा (2) वित्तीय निविदा

(2) निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ।

(3) जी0एस0टी0 में निबंधित होना अनिवार्य है।

(4) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी सरकारी संस्थान में तीन वर्षो का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) मशीन/उपकरण की मरम्मति एवं वार्षिक सम्पोषण हेतु तकनिकी निविदा में 1,00,000 (एक लाख) रूपये मात्र का बैक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को प्रतिभूत होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

(6) नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट एवं निविदादाता या फर्म/Agency के काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र मूल प्रति में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3→

(7) अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म (L1) को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर वाला (L2) फर्म पहले निम्न दर वाले (L1) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2) फर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले (L1) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची मे डालने की कार्रवाई की जायेगी।

(8) अगर किसी फर्म द्वारा आदेश मिलने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कार्य करना बन्द कर दिया जाता है या बीच में छोड़–छोड़कर कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(9) निविदा टंकित एवं अलग–अलग लिफाफा में मुहरबन्द होगा और लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। अधूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(10) निविदा में संलग्न सभी कागजात पृष्ठांकित होने चाहिए एवं इसका जिक्र अग्रसाग्ण पत्र पर होना चाहिए।

(11) श्रम विभाग में निबंधन। वैसे फर्म जो वर्त्तमान में श्रम विभाग में निबंधित नहीं है उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।

(12) अस्पताल प्रशासन द्वारा दिये गये स्थान, भवन, मशीन (Incinerator Autoclave Shredder Machine एवं अन्य मशीन जो संस्थान द्वारा लगाया गया है) का रख–रखाब एवं संचालन भी L1 को करना होगा। इसके अलावे संसाधन सिर्फ विद्युत एवं जल ससंधान उपलब्ध कराएगा एवं बाकी सारे खर्च, अन्य रख रखाव सहित सभी खर्च निविदादाता को उठाना होगा।

(13) निविदादाता द्वारा अस्पताल परिसर में सभी जगह माप दण्ड के अनुसार सभी विभागों एवं अस्पताल परिसर में फ्लैक्स बोर्ड, प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध कराना होगा।

(14) सभी वार्डो में इलेक्ट्रिकल निडिल कटर एवं डिस्ट्रोयायर उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा तथा सिरिज एवं निडिल को डिस्इन्फेक्ट करने हेतु Chlorinated Bins देने की व्यवस्था Bio Medical Waste नियमावली के अनुसार।

(15) निविदादाता द्वारा उनके सभी कर्मियों को जैविक कचरा उठाने के पूर्व Bio Medical Waste माप–दण्ड के अनुरूप ड्रेस, बूट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा एवं उनकी सुरक्षा हेतु Immunisation कराया जाना आपकी जिम्मेवारी होगी।

(16) निविदादाता द्वारा मासिक जैविक कचड़ा का उठाव का वजन एवं मशीन संचालन द्वारा निस्तारण का अवधि प्रतिदिन का कार्यालय को उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा।

(17) Liquid Waste Treatment के लिए E.T.P द्वारा Treatment के बाद Disposable कराना आपकी जिम्मेवारी होगी।

(18) पारदर्शी एवं स्केलिग टंकी में 200 लीटर डीजल हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। डीजल उपलब्ध नहीं रहने पर आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।

3